



भारत सरकार Government of India
खान मंत्रालय Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines
भारतीय सर्वेक्षण परिसरकी भवन संख्या- 61, भूतल, सर्वे चौक, 17-ईसी रोड, देहरादून -
248001(उत्तराखंड)
Building No.61, Ground Floor inSurvey of India Campus, Survey
Chowk, 17 EC Road, Dehradun -248001 (U.K.)
100TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail -
ro.dehradun@ibm.gov.in



फाईल संख्या File No:MCDR-MiFLOLST/12/2022-DDN-
IBM_RO_DDN

Mine Code:
38HPR10035

दिनांक, 27.12.2024

सेवा में श्री दीपक चावला
To : 43-गांधी रोड ,
देहरादून
उत्तराखंड -248001

Email-chawla_sidh@rediffmail.com

विषय Sub: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Banour Limestone Mine, Mining Lease over an area of 4.75 ha located near Village-Banour Tehsil-Paonta Sahib, District-Sirmour in Himachal Pradesh-Reg

महोदय Sir,

उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 18.11.2024 को दीपक चावला ,खान मलिक की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया था एवं निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के निम्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया

RULE NO.	NATURE OF VIOLATION OBSERVED
11(1)	Mining Operation were not carried out in accordance with Review and Updation the mining plan approved vide letter No. 614(2)/76-DDN dated 28.09. 2020 to the following extent: 1. Chapter -2, page no. 27 During the year 2023-24 in Eastern Block benches were proposed from 1405 mRL to 1385 mRL with height of 5 meter but during the inspection it was found no such benches have been developed and only small pits developed in this block.
55	In the submitted annual return of 2023-24 and Monthly Return November 2024, discrepancy is found as follows: The holder of a mining lease has submitted incomplete or wrong information in monthly returns It is found that Registration No of sale party under the head "Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the buyer" has not been furnished in Part-II at para-"5 Sales-Dispatches effected for Domestic Purposes and for Exports"

- इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंघन नियम 62(1) एम सी डी आर संसोधन नियम -2021 के तहत दंडनीय अपराध है | 45(7) का उल्लंघन नियम 62(2) एम सी डी आर संसोधन नियम 2021 के तहत दंडनीय है ।
- इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंघन नियम 62(1) एम सी डी आर संसोधन नियम -2021 के तहत दंडनीय अपराध है |
- इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगन करने की अनुसंधा की जा सकती है, और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे।

भवदीय Yours faithfully,

(दामोदर प्रसाद शर्मा /D P Sharma)
सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
- 2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि0 प्र 0 सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि0 प्र 0). (geologicalwing@gmail.com)
- 3- गार्ड फाइल

सहायक खान नियंत्रक /Assistant Controller of Mines